

क्रमांक:— प2(220)/सूप्रौ/2023

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 01559/2024 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा जिन अधिकारियों की पूर्व में स्वीकृत एम.ए.सी.पी. को निरस्त किया गया था, उन अधिकारियों को भुगतान किये जा चुके वेतन एवं भत्ते की वसूली की कार्यवाही वित्त विभाग नियम अनुभाग के आदेश प15(17)वित्त/नियम/2017 दिनांक 13.04.2024 के अनुरूप की जावेगी, जिसके अनुसार कार्मिक को एसीपी स्वीकृत कर भुगतान किये जा चुके वेतन एवं भत्ते, उक्त पदोन्नति के आदेश जारी किये जाने की दिनांक तक अनुज्ञेय रहेंगे। यह अनुज्ञेयता एसीपी एवं पदोन्नति स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी की सलाह से निर्णित होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- 1 वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
- 3 प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 संबंधित अधिकारी।
- 5 निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी

RajKaj Ref
7171603